SNO 3(W)

709/हि-अत्याचार
7/7/2006

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव छ0ग0

क्रमांक—पुअराज/स्टेनो—2/मआआ/19 —ए/06 दिनांक—28 0.06

प्रति,

श्री त्रिपुरारी राय
उप संचालक
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छटी मंजिल, ' बी ' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
110003

विषय— आवेदक सतीश कवर निवासी ग्राम देवकट्टा व्दारा प्रस्तुत आवेदन ।
सदर्भ— आपका पत्र कमांक छत्तीसगढ़/एसटी—5/2006—एक्ट्रोसिटी, दिनांक—01 2006

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है । शिकायत की जा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से कराये जाने पर पाया गया कि आवेदक की रिपो पर पुलिस थाना डोंगरगढ़ व्दारा अपराध कमांक—87/2005 धारा 294,323,34 भादवि एवं (क) कर्जा एक्ट दिनांक 06.4.05 को पंजीबद्ध कर विवेचना उप निरीक्षक सी0आर0ठाकुर व्दा की जा रही थी । उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरग व्दारा एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा जोड़े जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण में धा 3—1—10 एक्ट्रोसिटी एक्ट दिनांक 28.7.05 को जोडी गई तथा प्रकरण की अग्रिम विवेचन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ व्दारा दिनांक 07.8.05 से की जा रही थी ।

अपराध प्रकरण के अनावेदक जनरैल सिंह एवं हरप्रीत सिंह निवासी डोंगरग व्दारा पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक) पुलिस मुख्यालय रायपुर को झूठी रिपोर्ट के आधा पर एक्ट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज उक्त प्रकरण की जांच पश्चात खारिज करने बाब शिकायत आवेदन दिए जाने पर इसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) राजनांदगांव कराये जाने पर पाया गया कि थाना डोंगरगढ़ के अप0क0—87/05, धारा 294,323,34 भाद एवं 4 (क) कर्जा एक्ट के प्रथम सूचना प्रतिवेदन में धारा 3'1—10 एक्ट्रोसिटी एक्ट के त मौजूद नहीं होना एवं मात्र उधारी की लेन देन पर हुए विवाद के कारण सतीश कवर क कक्कड़ बंधुओं व्दारा मारपीट किया जाना पाया गया । उक्त राय से सहमत होते हु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय व्दारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप इसमें उक्त अपराध नह बनना इस कारण धारा हटवाया गया है । वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अत कोई टीप दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है ।

प्रतिवेदन मय आवेदन के आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न—आवेदन

पुलिस अधीक्षक
जिला—राजनांदगा